न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

प्रकरण संख्या/अभ्यावेदन/90/2019 निर्णय दिनांक :-29.09.2019

आदेश

प्रार्थी श्री पूर्णमल पुत्र श्री समन्दर सिहं ढाणी सेबली ग्राम झेरली तहसील सूरजगढ़ ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत डी.बी. सिविल रिट पी.आई.एल. याचिका संख्या 16756/2018 उनवानी पूर्णमल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2019 की पालना करवाने बाबत दिनांक 10.06.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर ग्राम ढाणी सेबली, झेरली तहसील सूरजगढ़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 331, 357, 358, 504 व 506 में राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने हेतु निवेदन किया। अभ्यावेदन तहसीलदार सूरजगढ़ के विरूद्ध दर्ज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है।

In view of above, instead of directly entertaining this public interest litigation petition, this Court requires the petitioner to approach the respondent authorities by filing a detailed representation along with copy of this order, who shall examine the grievances of the petitioner and do the needful within a period of three months from the date of filing of the representation.

अभ्यावेदन व निर्णय दिनांक 13.05.2019 में वर्णित भूमि की बाबत तहसीलदार सूरजगढ़ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया तथा प्रार्थी पूर्णमल पुत्र श्री समन्दर सिहं ढाणी सेबली ग्राम झेरली तहसील सूरजगढ़ को वास्ते सुनवाई हेतु न्यायालय में तलब किया गया। प्रार्थी स्वयं दिनांक 15.07.2019 को सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित आया। तहसीलदार सूरजगढ़ ने अपने पत्रांक राजस्व/2019/269 दिनांक 18.07.2019 द्वारा न्यायालय में प्रतिवेदन तथा विडियो रिकॉर्डिंग पेश की जिसके अनुसार ग्राम ढाणी सेबली–झेरली की विवादित भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 4.40 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़, खसरा नम्बर 358 रकबा 1.70 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ व खसरा नम्बर 504 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह व अन्य सामान्य कामकाज हेतु खाता संख्या 451 में दर्ज रिकॉर्ड है इसी प्रकार विवादित भूमि खसरा नम्बर 506 रकबा 0.39 हैक्टर किस्म बारानी। राजस्व रिकार्ड में मन्दिर श्री हनुमानजी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त भूमियों पर कुल 174 कच्चे पक्के पुख्ता मकान बनाकर परिवार निवास करते है। जिनमें से अनुसूचित जाति 95 परिवार है, अनु.जन जाति के 22 परिवार है एवं 57 परिवार सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के निवास करते है। उक्त भूमि ग्राम झेरली की आबादी भूमि से सटी हुई है। उपरोक्त 174 अतिक्रमियों में से 41 परिवारों ने चार दीवारी एवं टीन शैड बनाकर तथा 133 परिवारों ने पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। पुख्ता मकानात वाले परिवारों के पास रहने की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तथा तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व विडियों रिकॉर्डिंग का भी अवलोकन किया तहसीलदार

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

सूरजगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम ढाणी सेबली–झेरली की विवादित भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 4.40 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़, 358 रकबा 1.70 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ व 504 रकबा 0. 40 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह व अन्य सामान्य कामकाज हेतु खाता संख्या 451 में दर्ज रिकॉर्ड है इसी प्रकार विवादित भूमि खसरा नम्बर 506 रकबा 0.39 हैक्टर किस्म बारानी। राजस्व रिकार्ड में मन्दिर श्री हनुमानजी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त भूमियों पर कुल 174 कच्चे पक्के पुख्ता मकान बनाकर परिवार निवास करते है। जिनमें से अनुसूचित जाति 95 परिवार है, अनु.जन जाति के 22 परिवार है एवं 57 परिवार सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के निवास करते है। उक्त भूमि ग्राम झेरली की आबादी भूमि से सटी हुई है। उपरोक्त 174 अतिक्रमियों में से 41 परिवारों ने चार दीवारी एवं टीन शैड बनाकर तथा 133 परिवारों ने पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमियों के पास रहने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। न्यायालय की दृष्टि में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अभ्यावेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर आवासीय मकानात को छोड़कर शेष किसी भी प्रकार के किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति पालना हेतु तहसीलदार सूरजगढ़ को प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर,झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू